न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बसवा
इजरान पोपूराम बनाम सरकार
मु.न. दिनांक 3/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... जो इस ...

30.7.2024

पत्रावली पेश हुई । प्रार्थीगान गिर्राज पुत्र छाजूराम, कमलेश पुत्र छाजूराम जाति माली निवासी बसवा की ओर से एडवोकेट श्री ऋषिराज शर्मा द्वारा न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम के तहत आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 जा. दी. में पक्षकार बनाये जाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया था । प्रार्थनापत्र के मूल बिन्दु यह हैं कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नंबर 4295, 4296, 4300, 4301, 4303, 4304, 4305 कुल किता 7 कुल रकबा 2.12 हैक्टयर ग्राम बसवा में स्थित हैं । जिससे विपक्षीगण का कोई संबंध नहीं है । विपक्षीगण की आराजी प्रार्थीगण के पडौस में स्थित है । प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य हमेशा से सीमा विवाद रहा है । विपक्षीगण ने जान बूझकर प्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया है । पक्षकार कानूनी विभाजन करवा चुके हैं । परंतु प्रार्थीगण की रिहायशी भूमि जिस पर पुख्ता रहवास का निर्माण विपक्षीगण एवं प्रार्थीगण के पूर्वजों ने सहमति से किया हुआ है । सहमति से आने जाने का रास्ता व मकानात के आगे भूमि छोडी हुई है । विपक्षीगण हलका पटवारी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 31.5.2022 की आड में प्रार्थीगण का रास्ता भूमि व मकानात के आगे की भूमि को अवैध अतिकमण कर प्रार्थीगण के निकास को अवरूद्ध करने पर आमादा हैं । पटवारी हलका की दिनांक 20.5.2024 की रिपोर्ट में यह स्पष्ट जाहिर है कि आराजी खसरा नंबर 4305/10042 रकबा 0.05 हैक्टयर विपक्षीगण एवं खसरा नंबर 4305 रकबा 0.34 हैक्टयर प्रार्थीगण के नाम है । जिसके उत्तर–पश्चिम एवं पूर्व दिशा में आबादी निर्मित है ऐसे में प्रार्थीगण को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था । लिहाजा प्रार्थीगण को आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर प्रकरण में पैरवी एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने की कृपा करें।

उक्त आदेश 1 नियम 10 के प्रा.पत्र के संबंध में वकील वादी द्वारा जवाब पेश किया कि बिन्दु संख्या 1 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है, बिन्दु संख्या 2 जिस तरह तहरीर किया गया है गलत है अस्वीकार है । बिन्दु संख्या 3 में अंकन किया है कि प्रार्थी का सीमाज्ञान हो चुका है । जिससे प्रार्थीगण आर्डर एक नियम दस लगाने वालों का कोई संबंध नहीं है ।

हमने गत तारीख पेशी पर उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी, आदेश 1 नियम 10 जा.दी. प्रार्थनापत्र देहन्दाओं के अधिवक्तागण द्वारा प्रकरण में प्रार्थीगण को आवश्यक पक्षकार बनाये जाने हेतु पुरजोर बहस की । जबकि वकील वादीगण/प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि जबकि प्रा.पत्र आदेश 1 नियम 10 प्रस्तुतकर्ता न तो इस भूमि के खातेदार हैं जिसकी पत्थरगढी की जानी है । न उनके द्वारा दौरान सीमाज्ञान कार्यवाही में सीमाज्ञान का विरोध किया । अतः आदेश 1 नियम 10 का प्रा.पत्र खारिज किया जावे ।

हमने प्रा.पत्र का गहन अवलोकन किया । बाद मनन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के पाया गया कि :–

1. जिस भूमि पर मूल प्रा.पत्र देहन्दा प्रार्थीगण पत्थरगढी चाहते हैं, उस भूमि में प्रार्थीगण (आदेश 1 नियम 10 देहन्दा) की न तो खातेदारी है एवं न ही कोई कब्जा सत्यापित होता है । जिससे प्रा.पत्र 1/10 सीपीसी काबिले खारिज है ।

2. प्रार्थीगण ने उनके प्रा.पत्र 1/10 सीपीसी में यह अंकन किया है कि पटवारी हलका की दिनांक 20.5.2024 की रिपोर्ट में यह स्पष्ट जाहिर है कि आराजी खसरा नंबर 4305/10042 रकबा 0.05 हैक्टयर विपक्षीगण एवं खसरा नंबर 4305 रकबा 0.34 हैक्टयर प्रार्थीगण के नाम है । जब इस बिन्दु का मिलान दिनांक 20.5.2024 की रिपोर्ट से किया जाता है तो इसमें खसरा नंबर 4305 का कहीं भी कोई अंकन नहीं है । पटवारी की इस रिपोर्ट में खसरा नंबरान 4298, 4305/10042 एवं 4306 ग्राम बसवा का ही अंकन किया गया है । ऐसी दशा मे मनगढण्त व तथ्यों के विपरीत प्रा.पत्र 1/10 सीपीसी होने से काबिले खारिज है ।

3. सीमाज्ञान रिपोर्ट 31.5.2022 के दौरान, सीमाज्ञान रिपोर्ट में ऐसा कोई अंकन नहीं किया है कि वर्णित आराजी में किसी प्रकार का कोई तनाजा अथवा विवाद की स्थिति हैं एवं न ही सीमाज्ञान कार्यवाही के दौरान कोई तनाजे जैसी स्थिति के साक्ष्य प्रस्तुत हैं ।

उपरोक्त स्थितियों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण 1/10 जा.दी. प्रस्तुतकर्ता महज, वादीगण की पत्थरगढी की प्रकिया को टालना व लंबित रखना चाहते है, किंतु ऐसी स्थिति वादीगण के मूल अधिकारों के विरूद्ध है ।

अतः ऐसी स्थिति में आदेश 1 नियम 10 सीपीसी काबिले खारिज होने से प्रा.पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. मय 151 जा.दी. खारिज किया जाकर, फैसल शुमार करके, दाखिल दफतर किया जाता है ।

पत्रावली वास्ते बहस ... हेतु आगामी तारीख 31.7.2024 को न्यायालय हाजा में पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.31 12:20:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

31/7/24 पत्रावली पेश हुई, बहस प्रार्थी वकील सुनी गई, निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली की गई, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रेकार्ड हो, तहसीलदार बसवा को पालना हेतु भेजी जाती है, पत्रावली नकल में कम है।

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला–दौसा

प्रकरण संख्या विविध 35/22 (156/2022)
प्रकरण रज्जु दिनांक : 14.07.2022
निर्णय दिनांक :– 31.07.2024

प्रकरण :– वास्ते 128 एल.आर.एक्ट पत्थरगढी हेतु

प्रकरण का उनवान

1. पांचूराम पुत्र नारायण जाति माली निवासी बसवा
2. रामकरण पुत्र घासीराम जाति माली निवासी बसवा
3. अनोखी पुत्री घासीराम जाति माली निवासी बसवा
4. कल्ली पुत्री घासीराम जाति माली निवासी बसवा
5. बिदामी पुत्री घासीराम जाति माली निवासी बसवा
6. शांति पुत्री घासीराम जाति माली निवासी बसवा
7. पप्पूराम पुत्र घासीराम जाति माली निवासी बसवा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला–दौसा

(अप्रार्थी)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 31.7.2024

उपस्थिति :–1. प्रार्थीगण की ओर से
एडवोकेट श्री गोपाल बंधु

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने इस आशय का एक प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 128 एलआर एक्ट वास्ते पत्थरगढी हेतु पेश किया है कि प्रार्थीगण की भूमि काश्त वाके ग्राभ बसवा स्थित खाता संख्या नया 683 पुराना 299 खसरा नंबर 4297 रकबा 0.09 हैक्टयर, 4298 रकबा 0.09 हैक्टरूर, 4305/10042 रकबा 0.05 हैक्टयर, 4306 रकबा 0.55 हैक्टयर, 4311 रकबा 0.41 हैक्टयर, 6185 रकबा 0.58 हैक्टयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.77 हैक्टयर भूमि स्थित है जो कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है । दिनांक 31.5.2022 को भूमि मुतदाविया का सीमाज्ञान भी हो चुका है किंतु सीमा विवाद के कारण भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना लाजिमी है । अतः पक्षकारान के उनके हिस्से अनुसार सीमाज्ञान के आधार पर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान किये जावें । हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन में दिनांक 31.5.2022 की सीमाज्ञान कार्यवाही व मौका पर्चा का अवलोकन किया । मौका पर्चा सीमाज्ञान में अंकित किया है कि दिनांक 31.5.2022 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय बसवा के आदेश क्रमांक मु.अ./22/7704 दिनांक 31.5.2022 के अनुसार ग्राम बसवा में आराजी खसरा नंबर 4297, 4298, 4305/10042, 4306, 4311, 6185 किता 6 1.77 के मौके पर वास्ते सीमाज्ञान पहुंच मौके के राजस्व नक्शे का मौके अनुसार मिलान किया गया । आराजी खसरा नंबर 4274, 4276, 6177 गै.मु.चाह व खसरा नंबर 4346, 4352, 10327/4340 के मध्य स्थित तिमेडा व खसरा नंबर 6180, 6181, 6196 के मध्य स्थित तिमेडे को मुस्तकिल बिन्दु मानकर उक्त खसरा नंबरान के

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.31 12:20:49 IST
Reason: SelfAttested

समस्त कौने व समस्त भुजाएं कायम करवाई गई । उक्त मौका पर्चा ग्रामवासियान व खातेदारान की उपस्थिति में मौके पर बनाया व पढकर सुनाया व हस्ताक्षर करवाये गये ।''

प्रा.पत्र वास्ते पत्थरगढी प्राप्त होने पर, न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके, अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये ।

न्यायहित में तहसीलदार बसवा से प्रकरण में बतौर अप्रार्थी की हैसियत से प्रकरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । तहसीलदार बसवा द्वारा उनके पत्रांक भू.अ./2022/11240 दिनांक 2.1.2023 के द्वारा पटवारी हलका की रिपोर्ट भेजी गई । पटवारी हलका ने उसकी रिपोर्ट में अंकन किया है कि उनवान पांचूराम बनाम राज. सरकार में दिनांक 17.8.2022 के द्वारा मौका व राजस्व रिकोर्ड अनुसार जवाब रिपोर्ट चाही गई है । जो निम्नानुसार है । यह है कि ग्राम बसवा की जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 683 में खातेदार अनोखी पुत्र घासीराम हिस्सा 1/14, कल्ली पुत्र घासीराम हि. 1/14, पप्पूराम पुत्र घासीराम हि 1/14, पांचूराम पुत्र नारायण हिस्सा 1/2, बिदामी पुत्र घासीराम हि. 1/14, मंगी देवी पत्नी घासीराम हिस्सा 1/14, रामकरण पुत्र घासीराम हिस्सा 1/14 शांति पुत्र घासीराम हिस्सा 1/14 जाति माली दर्ज रिकोर्ड है । उक्त खसरा नंबर 4297, 4298, 4305/10042, 4306, 4311, 6185 कुल किता 6 रकबा 1.77 हैक्टयर का सीमाज्ञान पूर्व में दिनांक 31.5.2022 को करवा दिया गया है । महोदय सीमाज्ञान करने के पश्चात ज्ञात हुआ उक्त खसरा नंबर में से खसरा नंबर 4298, 4305/10042, 4306 में मौके पर आबादी बनी हुई है जो पुख्ता है । मकानात बने हुए ऐसी स्थिति में उक्त खसरा नंबरान की पत्थरगढी किया जाना संभव नहीं है । शेष खसरा नंबरान में कब्जा काश्त है । ध्यातव्य है कि उक्त रिपोर्ट पटवारी हलका द्वारा दिनांक 9.12.2022 को तैयार करना पटवारी हलका हस्ताक्षर मय तिथि से स्पष्ट है ।

प्रकरण में पूर्व में राजस्व कार्मिकों द्वारा दिनांक 31.5.2022 की सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न है जिसके आधार पर वादीगण द्वारा पत्थरगढी प्र.पत्र पेश किया है, एवं अब दिनांक 9.12.2022 की रिपोर्ट थोडी अलग होने से न्यायालय हाजा के पत्रांक 344 दिनांक 1.5.2024 के द्वारा तहसीलदार बसवा से रिपोर्ट चाही की उक्त आराजी में दोनों दिनांकों यथा 31.5.2022 एवं 9.12.2022 के मध्य कोई निर्माण हुआ है अथवा नहीं । इस विषय जांच रिपोर्ट पेश करें ।

तहसीलदार बसवा द्वारा उनके पत्रांक भू.अ./2024/1749 दिनांक 21.5.2024 के द्वारा गिरदावर बसवा एवं पटवारी हलका बसवा सी द्वारा दिनांक 16.5.2024 की जांच रिपोर्ट भिजवाई । दिनांक 16.5.2024 की जांच रिपोर्ट में राजस्व कार्मिकों ने अंकन किया है कि उनवान पांचूराम बनाम सरकार की जांच करने पर पटवारी हलका के साथ आराजी खसरा नंबर 4298, 4305/10042, 4306 ग्राम बसवा पर पहुँच मौके पर खसरा नंबर 4298 की उत्तरी व पूर्वी भुजा खाली है व पश्चि की मेड पर [illegible] दक्षिणी भुजा पर आंशिक आबादी है । व खसरा नंबर 4305/10042 की उत्तरी पश्चिमी हिस्से पर आंशिक आबादी को छोडकर शेष खाली भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही [illegible] जावे मुझे कोई एतराज नहीं होगा । रिपोर्ट आगामी कार्यवाही सेवा में पेश है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.31 12:20:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के दौरान एक अन्य व्यक्ति यथा गिर्राज प्रसाद एवं कमलेश द्वारा एक आदेश 1 नियम 10 का प्रा.पत्र वास्ते वाद में पक्षकार बनने हेतु पेश किया, जिसको नियमानुसार कार्यवाही व सुनवाई के उपरांत, पक्षकार बनाने योग्य नहीं पाए जाने से खारिज किया जा चुका है ।

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

हमने प्रकरण में वकील प्रार्थीगण/वादीगण की बहस सुनी, उनके द्वारा उनकी बहस में यह सहमति प्रदान की कि जो भूभाग आबादी/मकानात की तामीर से रहित है, केवल उस पर ही पत्थरगढी कर दी जाती है तो उन्हें सहमति है ।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं बहस पर मनन किया गया । बाद पत्रावली अवलोकन एवं मनन के हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थीगण द्वारा जिस आराजी की पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रा.पत्र पेश किया है उसमें से यदि आबादी/मकानात तामीर रहित भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं तो प्रार्थीगण को सीमा विवाद एवं आवारा जानवरों से सुरक्षा प्राप्त होगी । ऐसी दशा में प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत पत्थरगढी प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है ।

निर्णय

लिहाजा आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण की आराजी ग्राम बसवा के खसरा नंबरान 4297, 4298, 4305/10042, 4306, 4311, 6185 कुल किता 6 रकबा 1.77 हैक्टयर भूमि में से आबादी व मकानात रहित कृषि भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही की जावे एवं यदि शांति व्यवस्था के लिहाज से पत्थरगढी कार्यवाही के दौरान पुलिस इमदाद अपेक्षित हो तो संबंधित थानाधिकारी से वांछित पुलिस इमदाद लिया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी, बसवा
जिला-दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.31 12:20:49 IST
Reason: SelfAttested